

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम -1970 एवं उक्त नियमों में प्रसारित संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित व्याख्याताओं को एम0एड0 परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

1. नियमानुसार अर्जित अवकाश ही देय होंगे। अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा। अध्ययन पर होने वाला व्यय आशार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
2. डिग्री यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है। इसकी सुनिश्चिता की जिम्मेदारी कार्मिक स्वयं की होगी।
3. विद्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने अथवा शाला प्रधान एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिकूल अभिमत करने पर यह अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।

क्र.स.	नाम व्याख्याता, विषय मय पदस्थापन स्थान	विश्वविद्यालय एवं परीक्षा सत्र
1.	शालु अरोडा, व्याख्याता गृह विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लटुरी, कोटा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एम.एड. सत्र 2020-21
2.	अनिता, व्याख्याता गृह विज्ञान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौथ का बरडवा, सवाई माधोपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एम.एड. सत्र 2020-21
3.	जगदीश चन्द गुप्ता, व्याख्याता रसायन विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर झालावाड	वी.एम.ओ.यू. कोटा एम.एड. सत्र 2020-21

AS

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगू/अनापत्ति/2019-20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
02. संबंधित संस्था प्रधान.....।
03. संबंधित कार्मिक.....।
04. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
05. गार्ड पंजिका।

दिनांक: 29/10/2020

संयुक्त निदेशक
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर